रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 अप्रैल, 2008/1 वैशाख, 1930

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 अप्रैल, 2008

संख्या वि0 स0–लैज–गवरनमैंट बिल/1–48/2008.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2008 को

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
गोवर्धन सिंह,
सचिव।

2008 का विधेयक संख्यांक 8.

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्यांक 22) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :——

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

धारा 4 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 (1997 का 22) की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :——

"(1) अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे, किन्तु तीन वर्ष से अधिक नहीं।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 4 में उपबन्ध है कि अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। आयोग के अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति साधारणतया राजनीतिक आधार पर की जाती है। यह समझा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति नियत अवधि के लिए नहीं होनी चाहिए, अपितु उनकी पदावधि हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (प्रथम संशोधन) आदेश, 2003 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुरूप राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त रखी जानी चाहिए। तद्नुसार इस मामले का परीक्षण किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबन्ध को उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित किया जाए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

सरवीण चौधरी,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख :....., 2008.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्यांक 22) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

सरवीण चौधरी,
प्रभारी मन्त्री।

जे0 एन0 बारोवालिया,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख : ....., 2008.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2008.

THE HIMACHAL PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN (AMENDMENT) BILL, 2008

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh State Commission for Women Act, 1996 (Act No. 22 of 1997).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh State Commission for Women (Amendment) Act, 2008.

Amendment of section 4.

2. In section 4 of Himachal Pradesh State Commission for Women Act, 1996, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— (22 of 1997)

"(1) The Chairperson and non-official members shall hold office during the pleasure of State Government but not exceeding three years.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Himachal Pradesh State Commission for Women Act, 1996 provides that the Chairperson and non-official members shall hold office for such period not exceeding three years as may be specified by the State Government. The appointment of the Chairperson and non-official members of the Commission are generally made on political consideration. It is felt that appointment of Chairperson and non-official members of the State Commission for Women should not be for a fixed period, but their term of office should be placed at the pleasure of the State Government on the anology of provision contained in Himachal Pradesh State Commission for Backward Classes (1^{st} Amendment) Orders, 2003. Accordingly, this matter has been examined and it has been decided that the existing provision of sub-section (1) of section 4 of the Act *ibid* be suitably substituted. This has necessasitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SARVEEN CHAUDHARY)
Minister-in-Charge.

Shimla:
The…............…, 2008.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN (AMENDMENT) BILL, 2008

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh State Commission for Women Act, 1996 (Act No. 22 of 1997).

(SARVEEN CHAUDHARY)
Minister-in-Charge.

(J. N. BAROWALIA)
Principal Secretary (Law).

Shimla:
The……....., 2008.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित